

डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोक
व अलजास अर्पिता सोनी आर०ए०एस०

1. प्रभाती पत्नि राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा तह० पीपलू जिला टोक

बनाम

वादीया

1. हन्सा पत्नि बदरी जाति दरोगा निवासी सोन्दीफल तह० पीपलू जिला टोक
कुल कस 13

प्रतिवादीगण

मुकदमा न० 134/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू. मुझ अर्पिता सोनी उप खण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी नन्दकिशोर शर्मा मिनजानिव मुद्दई रूबरू. अनुपस्थित विमनजानिव मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिगरी दी जाती है कि । दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है तकासमा रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

जायनिजी.....

मबलिक.....

बाबत.....

खर्चा इस मुकदमों का मय

सूद यगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक को
अदा करें ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.2.2018 को जारी की गई ।

दस्तख्त.....

ओहदा.....

मुहर

मुददई	रुपये	पैसे	मददायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50-00		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए ।